न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 109/16 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सुन्दर लाल पुत्र स्व0 लालाराम

2. मूर्ति देवी पत्नी स्व0 लालाराम

3. कृष्ण कुमार पुत्र मुखराम

4. हरफुल पुत्र मुखराम

जातियान कुम्हार निवासीयान ग्राम तेजपुरा तहसील मुण्डावर

जिला अलवर राजस्थान

:———अपीलार्थीगण

बनाम

1 लोकराम

2 कान्हाराम पुत्रान स्व0 छाजूराम
जातियान कुम्हार निवासीयान ग्राम तेजपुरा तहसील मुण्डावर
जिला अलवर राजस्थान

3 कमला पुत्री छाजुराम पत्नी जगदीश जाति कुम्हार निवासी ग्राम
तेजपुरा हाल निवासी ग्राम डाबरा तह0 बानसूर जिला अलवर

4 ग्यारसी पुत्री छाजुराम पत्नी श्रीराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम
तेजपुरा हाल निवासी ग्राम लोयती नांगल तह0 बानसूर (अलवर)

5 सरतो पुत्री छाजुराम पत्नी भरतलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम
तेजपुरा हाल निवासी जैनपुर बास तह0 बहरोड जिला अलवर

6 कृष्णा पुत्री छाजुराम पत्नी छीतर जाति कुम्हार निवासी तेजपुरा
हाल निवासी ग्राम डाबरा तह0 बानसूर जिला अलवर

7 रामकली पुत्री छाजुराम पत्नी कृष्ण जाति कुम्हार निवासी ग्राम
तेजपुरा हाल निवासी ग्राम जैनपुर बास तह0 बहरोड (अलवर)

8 मिंटु पुत्री छाजुराम पत्नी सुभाष जाति कुम्हार निवासी ग्राम
तेजपुरा हाल निवासी जैनपुर बास तह0 बहरोड जिला अलवर

:——— असल रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

9 तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर
10 उप पंजीयक मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर
11 छोटी पुत्री मुखराम
12 विधा पुत्री मुखराम
जातियान कुम्हार निवासीयान तेजपुरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:——तरतीवी प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 5.7.2016

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री सुन्दर शर्मा

2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :— श्री जनार्दन शर्मा

निर्णय दिनांक 4.10.2021

1 यह अपील तहत अदालत उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 187/2009 अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 5.7.2016, जिसके द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी छाजूराम ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तेजपुरा के हाल खसरा नम्बर 276 रकबा 57 एयर, 282 रकबा 97 एयर किता 2 रकबा 1.54 हेक्टेयर विवादित है, जो साबिक खसरा नम्बर 106 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा से बने हैं । उक्त विवादित आराजी में वादी के पिता का 1/2 भाग तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज मुखराम का 1/2 भाग दर्ज था । पक्षकारान एक ही पूर्वज मंगला के वंशज है । मंगला के 2 पुत्र मनसुख व हरदेवा हुये । मनसुख का वारिस छाजूराम वादी है तथा हरदेवा फौत हो गया है । हरदेवा का पुत्र मुखराम भी फौत हो गया है । मुखराम के वारिस प्रतिवादीगण है । विवादित भूमि मंगला की रही है । मंगला से उसके दोनों पुत्रों को आराजी प्राप्त हुई । विवादित भूमि में वादी का 1/2 भाग व प्रतिवादीगण का 1/2 भाग रहा है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं जमींदारी बिस्वेदारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उन्मूलन अधिनियम लागू होने के दिन भी वादी एवं प्रतिवादीगण 1/2, 1/2 भाग पर काबिज रहे हैं । परन्तु प्रतिवादीगण ने खानदान का मुखिया होने का फायदा उठाकर चालाकी से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर विवादित भूमि सालिम अपने नाम खातेदारी में दर्ज करा ली । जबकि वादी का विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा निहित है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 5.7.2016 के द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया है, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण ने यह अपील पेश की है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया है कि अपीलाधीन निर्णय कैम्प में पारित किया गया था, जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी थी । दिनांक 29.8.2016 को सर्वप्रथम जानकारी तब हुई, जब असल प्रतिवादीगण ने अपीलांट के कब्जे काश्त में मजाहमत की । इस पर नकल आदि एवं कानूनी सलाह लेकर अपील जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद पेश कर दी है । जानकारी के अभाव में हुई देरी को माफ किया जावे । विद्वान वकील ने आगे निवेदन किया है कि तहत अदालत द्वारा कैम्प की सूचना हमको नहीं दी गई । हमारा कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ । तहत अदालत को मेरिटस के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिये था । राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार घोषणा के विवादों का निस्तारण कैम्प कोर्ट में नहीं करना चाहिये । उक्त वाद में असल रेस्पो0 संख्या 01 ला0 08 का पिता छाजूराम एकल वादी था, जिसका स्वर्गवास दिनांक 13.1.2016 को हो चुका था तथा असल रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से इस तथ्य को छिपाकर दावा डिक्री करा लिया । जबकि आदेश 22 नियम 10 क सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत वादी वकील का भी यह दायित्व था कि वादी की मृत्यु की सूचना अदालत को दे । वकील वादी द्वारा उक्त सूचना नहीं दी गई । मृतक वादी का आदेश 22 नियम 3 सी0 पी0 सी0 का कोई प्रार्थना पत्र तहत अदालत में पेश नहीं हुआ । ना ही मृतक वादी के वारिसान को रेकार्ड में लिया गया । इस प्रकार वाद स्वतः ही अबेट हो चुका था । अबेट हुये वाद पत्र को तहत अदालत ने गलत तौर पर डिक्री कर दिया । तहत अदालत ने अपने निर्णय व डिक्री में अंकित किया है कि मजमेआम से जानकारी ली गई । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यदि मजमेआम से जानकारी ली गई होती तो वादी के देहान्त की जानकारी प्राप्त हो जाती । तहसीलदार व पटवारी द्वारा कोई मौके पर जाकर कोई जांच नहीं की गई । कैम्प में ही बैठ कर मौका रिपोर्ट बना दी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

। जांच रिपोर्ट दिनांक 5.7.16 की निर्णय वाले दिन की ही है,जिस पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है । अगर मौके पर जाकर जांच की जाती तो वादी के देहान्त की जानकारी हो जाती । हमने तहत अदालत में उपस्थित होकर अपने वकील का वकालतनामा पेश करवाया था और जवाव हेतु समय मांगा था । दिनांक 5.5.2011 को सभी प्रतिवादीगण/अपीलांटस द्वारा जवाव पेश कर दिया गया था । ऐसी स्थिति में तनकियात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था । हमारे पिता/पति दौराने विचारण फौत हो गया था । दिनांक 30.5.2014 को तहत अदालत में हमारे पिता/पति के वारिसान को रेकार्ड पर लेने हेतु आदेश 22 नियम 4 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया था, परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया गया था । मृतक प्रतिवादी लालाराम के वारिसान को रेकार्ड पर नहीं लिया गया था । निर्णय पारित करने से पूर्व प्रतिवादी मृतक लालाराम के वारिसान हम अपीलांट संख्या 1 व 2 को कोई सूचना नहीं दी गई थी । प्रतिवादी मृतक लालाराम की कोई सम्यक तामील नहीं कराई गई । वादी ने तहत अदालत में तकासमा का वाद पेश किया था । तकासमा का वाद होने के कारण आदेश 20 नियम 18 सी0 पी0 सी0 के तहत अधिनस्थ न्यायालय को अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार से कुर्रेजात रिपोर्ट लेनी चाहिये थी । आदेश 20 नियम 18 सी0 पी0 सी0 के प्रावधान आज्ञापक है । तहत अदालत ने प्राथमिक डिक्री पारित नहीं की । मुझे तहत अदालत में सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है । इसलिये मैंने अदालत हाजा में आदेश 41 नियम 27 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज पेश किये है, जिनमें जमाबन्दी सम्वत 2009 सन 1952–53 के खाता संख्या 46 के अनुसार उक्त आराजीयात पर मु0 नानगो बेवा हरदेव जाति कुम्हार काबिजि थी । जो मु0 नानगो हम अपीलांटस के पूर्वज हरदेवा की पत्नी थी यानि उक्त आराजीयात मंगला की नहीं थी, बल्कि उसके पुत्र हरदेवा की पत्नी नानगो की तन्हा थी । इसके अलावा हमने अदालत हाजा में जमाबन्दी सम्वत 2029, 2013, 2009, 2072–75 व अन्य दस्तावेज पेश किये हैं । जिनके अवलोकन से सिद्ध है कि विवादित आराजी मृतक मंगला की कब्जे काश्त नहीं रही तो वादी को उत्तराधिकार में मिलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । विवादित भूमि से वादी रेस्पो0 का कोई लेना देना नहीं है । परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया और वादी को गलत तौर पर खातेदार घोषित कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में 2016–17 (सप्लीमेंटरी) आर0 आर0 टी0 पेज 648, 2011–12 (सप्लीमेंटरी) आर0 आर0 टी0 पेज 698, आर0 आर0 टी0 2015 (2) पेज 817, आर0 आर0 टी0 2008 (2) पेज 1135, 2014 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1157, 2009–10 (सप्लीमेंटरी) आर0 आर0 टी0 पेज 309, 2012 (1) आर0 आर0 टी0 पेज 444 नजीरें पेश की ।

4 विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 01 ने लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को समय पर हो चुकी थी । तहत अदालत द्वारा दोनों पक्षों की मौजूदगी में निर्णय पारित किया गया है । देरी को तभी माफ किया जा सकता, जब देरी का युक्तियुक्त कारण बताया जावे । इन्होंने युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है । अतः अपील मियाद बिन्दू पर ही खारिज की जावे । अपीलांट द्वारा ऐसा कोई नियम व कानून पेश नहीं किया है, जिससे यह तथ्य सामने आये कि घोषणा सम्बन्धी विवादों का निस्तारण कैम्प कोर्ट नहीं किया जा सकता । कल्याणकारी योजनाओं के तहत पक्षकारों को सुलभ व सस्ता न्याय दिलाने के लिये कैम्प कोर्ट का आयोजन किया जाता है । प्रतिवादीगण का भी कानूनन यह अधिकार बनता है कि अगर किसी पक्षकार का देहान्त हो जाता है कि वो भी आदेश 22 नियम 3/3 (9 व 10) सी0 पी0 सी0 के मुताबिक न्यायालय को इस तथ्य की सूचना दे । कानूनन विभाजन का वाद किसी भी पक्षकार की मृत्यु होने पर अबेट नहीं होता है । दोनों ही पक्षों की सहमति से वाद पत्रावली सुनवाई एवं निर्णय हेतु कैम्प कोर्ट के लिये नियत की गई थी । अपीलांट संख्या 01 व 02 के पिता/पति प्रतिवादी संख्या 01 लालाराम के देहान्त की सूचना तहत अदालत को दे दी गई थी । उसके वारिसों को रिकार्ड पर लेकर व दस्तावेजात का अवलोकन करके निर्णय पारित किया गया है । तकनीकी आधार पर अपील स्वीकार नहीं की जा सकती । तहत अदालत ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि तहसीलदार मुण्डावर लगान आनुपातिक कायम करें । इससे यह सिद्ध है कि तहत न्यायालय द्वारा विभाजन के नियमों की पूर्ण पालना की गई है । जमाबन्दी सम्वत 2021 एवं समानान्तर सम्वत 2012 में मुखराम पुत्र हरदेव खातेदार निस्फ तथा छाजू पुत्र मनसुखा कुम्हार निस्फ अंकित है । इससे सिद्ध है कि विवादित भूमि में 1/2 भाग हमारा एवं 1/2 भाग अपीलांट का है । परन्तु सम्वत 2029 में भू प्रबन्ध विभाग ने सालिम आराजी मुखराम पुत्र हरदेवा के नाम गलत तौर पर अंकित कर दी । जिसकी दुरूस्ती कराने का हमको पूर्ण अधिकार है । भू प्रबन्ध विभाग को साबिक इन्द्राजात को परिवर्तित करने का

अधिकार नही है । वह साविक इन्द्राजात को केवल दोहरा सकता है । विवादित आराजी के अलावा अन्य आराजीयात भी पक्षकारान के पूर्वजों की थी, जिस पर तो बंदोबस्त विभाग ने पक्षकारान को उनके हिस्से अनुसार सही दर्ज कर दिया । परन्तु विवादित भूमि खालिग अपीलांट के पूर्वज के नाम गलत तौर पर दर्ज कर दी । साविक खसरा नम्बर 106 मिन रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा पर वादी के नाम का अंकन है । जब हरदेवा की मृत्यु हो चुकी है तो मुखराम पुत्र हरदेवा लिखने की आवश्यकता नहीं थी । वास्तव में वो मुखराम व छाजू समभाग राजस्व रिकार्ड में अंकित होना चाहिये था, क्योंकि मुखराम भी पुत्र व हरदेवा भी पुत्र नहीं हो सकते । मौका रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 276 रकबा 57 एयर पर वादी के काविज होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा खसरा नम्बर 282 में से 20 एयर पर वादी का कब्जा मौका रिपोर्ट में अंकित है । इस प्रकार कुल रकबा 1.14 हेक्टेयर में 57 एयर व 20 एयर कुल 77 एयर पर वादी का कब्जा बताया गया है तथा खसरा नम्बर 282 रकबा 97 एयर में से 20 एयर रकबा घटाकर 77 एयर पर प्रतिवादीगण का कब्जा बताया गया है । तहत अदालत ने सही तौर पर डिकी पारित की है । अतः अपील खारिज की जावे । विद्वान वकील ने अपनी बहस के समर्थन में नजीरें आर0 आर0 टी0 2016 पेज 1235, आर0 बी0 जे0 2015 पेज 368, आर0 बी0 जे0 2016 पेज 20, आर0 बी0 जे0 2019 पेज 20, आर0 बी0 जे0 2019 पेज 25, आर0 बी0 जे0 2018 पेज 370 पेश की ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की लिखित बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में तथा विद्वान वकील अपीलांट द्वारा मियाद बिन्दू पर दिये गये तर्कों पर विश्वास करते हुये नरम रूख अपनाया जाकर देरी को माफ किया जाता है ।

6 दौराने विचारण अपील दिनांक 17.9.2020 को अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 पेश किया, जो अदालत हाजा दिनांक 25.2.2021 को स्वीकार किया गया था तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को साक्ष्य में ग्रहण किया गया है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया गया । तहत अदालत की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया । तहत अदालत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा तहत अदालत में जवाब दावा पेश कर दिया गया था, परन्तु तहत अदालत द्वारा ना तो तनकियात कायम की गई और ना ही तनकीवार निर्णय पारित किया । इसके सम्बन्ध में विद्वान वकील अपीलांट द्वारा नजीरें पेश कर निवेदन किया है कि तहत अदालत ने आदेश 14 नियम 01 एवं आदेश 20 नियम 05 के पालना नहीं की है, इसलिये तनकियात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमांड किया जावे । हमने अपीलांट के इन कथनों पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि अगर पत्रावली पर सम्पूर्ण अभिलेख मौजूद हो तो प्रकरण को रिमांड नहीं किया जाना चाहिये । इसके अलावा माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में यह भी प्रतिपादित किया है कि तकनीकी बिन्दू पर प्रकरण रिमांड नहीं किया जाना चाहिये । चूंकि तहत पत्रावली में सम्पूर्ण राजस्व अभिलेख मौजूद है । ऐसी स्थिति में तनकीवार निर्णय पारित करने के तकनीकी बिन्दू पर प्रकरण को हम रिमांड किया जाना उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित नहीं समझते हैं । लिहाजा अदालत हाजा द्वारा वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण द्वारा पेश किये गये जवाब दावा के आधार पर आदेश 14 नियम 01 एवं आदेश 20 नियम 5 के परिप्रेक्ष्य में निम्न तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित किया जा रहा है :–

तनकी नम्बर 01

———————

आया विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 276 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा तथा 282 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 106 मिन रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा व 106 मिन रकबा 2 बीघा 05 से बनाये गये हैं ।

इस तनकी के सम्बन्ध में हमने मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 का अवलोकन किया तो पाया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 106 मिन रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा से हाल नम्बर 276 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा तथा साबिक खसरा नम्बर 106 मिन रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा से हाल नम्बर 282 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा बनना पाये जाते हैं । इस प्रकार वाद पत्र में अंकित साबिक खसरा नम्बरो से हाल खसरा नम्बरों का मिलान होना पाया जाता है ।

तनकी नम्बर 02

———————

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

आया वादी के पिता मनसुख एवं प्रतिवादीगण के पिता हरदेवा आपस में सगे भाई थे, जो मंगला के वारिसान थे । विवादित भूमि वादी के पिता मनसुख एवं प्रतिवादीगण के पिता हरदेवा की समान भाग अर्थात 1/2 भाग, 1/2 भाग की खातेदारी की थी, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने सम्पूर्ण भूमि गलत तौर पर अकेले हरदेवा के नाम दर्ज कर दी, जिसकी दुरूस्ती कराने का वादी को अधिकार है ।

इस तनकी के सम्बन्ध में हमने तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड एवं अंकित सजरा का अवलोकन किया । सजरा अनुसार मनसुख एवं हरदेवा मंगला के पुत्र होना साबित है । खसरा गिरदावरी सम्वत 2030 में खसरा नम्बर 276 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा पर मुखराम पुत्र हरदेवा खातेदार का अंकन है । जमाबन्दी सम्वत 2009–13 में साबिक खसरा नम्बर 106/2 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा पर मुखराम पुत्र, हरदेवा पुत्र समभाग खातेदार का अंकन है । जमाबन्दी सम्वत 2013–17 में साबिक खसरा नम्बर 106/2 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा पर मुखराम पुत्र, हरदेवा पुत्र समभाग खातेदार का अंकन है । जमाबन्दी सम्वत 2064–67 में हाल खसरा नम्बर 276 व 282 पर मुखराम पुत्र हरदेवा खातेदार का अंकन है ।

उपरोक्त दस्तावेजात के अवलोकन से हमारे समक्ष बडी विचित्र स्थिति उभरकर प्रकट हुई है और वह है ––– जमाबन्दी सम्वत 2009–13 एवं 2013–17 में किये गये इन्द्राजात । इन जमाबंदियों में मुखराम पुत्र, हरदेवा पुत्र समभाग खातेदार के इन्द्राज । अगर मुखराम पुत्र हरदेवा को एक ही व्यक्ति के रूप में पढा जावे तो फिर समभाग शब्द का अंकन करने की क्या आवश्यकता थी । साथ ही अगर मुखराम पुत्र हरदेवा को एक ही व्यक्ति के रूप में पढा जावे तो फिर मुखराम पुत्र, हरदेवा पुत्र कोमा लगाकर लिखने की क्या आवश्यकता थी । सीधे ही मुखराम पुत्र हरदेवा शब्द का अंकन कर देते । मुखराम पुत्र, हरदेवा पुत्र अलग अलग है, इसीलिये समभाग शब्द का प्रयोग किया गया है । अब प्रश्न यह उठता है कि क्या समभाग का प्रयोग मुखराम व हरदेवा के लिये किया गया है । चूंकि विवादित भूमि मंगला, जो कि मनसुख (वादी का पिता) व हरदेवा (प्रतिवादीगण का पिता) के पिता थे, की थी और उनके देहान्त के बाद उक्त आराजी समभाग में मनसुख व हरदेवा के नाम दर्ज होनी चाहिये । इससे सिद्ध है कि जमाबन्दी सम्वत 2009–13 एवं 2013–17 में अंकित मुखराम के स्थान पर मनसुख होना चाहिये था । सहवन से मनसुख के स्थान पर मुखराम अंकित हो गया था । यहां यह तथ्य भी गौरतलब है कि विवादित भूमि मंगला की थी, जिसमें

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उसके दोनों पुत्र मनसुख व हरदेवा का समान भाग में अधिकार है । मुखराम व हरदेवा आपस में पिता पुत्र है, इसलिये ये दोनों पिता पुत्र मंगला की भूमि में समान भाग में खातेदार दर्ज नहीं हो सकते । इन सब तथ्यों से सिद्ध है कि उपरोक्त जगावंदियों में मुखराम गलत अंकित हो गया है, उसके स्थान पर मनसुख दर्ज होना चाहिये । उपरोक्त दोनों जगावंदियों के अलावा जमावन्दी सम्वत 2021–25 का अवलोकन किया । इस जमावन्दी में विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 106/2 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा पर मुखराम पुत्र हरदेवा खातेदार निस्फ हरदेवा पुत्र मंगला खातेदार उपकृपक छाजू पुत्र मनसुख कुम्हार निस्फ पि0 हरदेवा का अंकन है । इस जगावन्दी की प्रविष्टियों से सिद्ध है कि सम्वत 2021–25 में भी मनसुख के पुत्र छाजू (स्वयं वादी)अर्थात रेस्पो0 के पिता छाजू का नाम 1/2 भाग पर अंकित था, परन्तु सम्वत 2029 में सम्पूर्ण आराजी मुखराम पुत्र हरदेवा के नाम दर्ज कर दी गई । यहां यह तथ्य भी गौरतलब है कि वाद पक्षकारान एक ही पूर्वज मंगला के वंशज है । विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 106 से बनी है । पक्षकारान की दीगर भूमि खसरा नम्बर 319, 320, 322, 324 से 344 शामलात में दर्ज है । जबकि विवादित भूमि अकेले मुखराम पुत्र हरदेवा के नाम दर्ज कर दी गई । जो कि विधिसम्मत नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पूर्व के रिकार्ड में भूमि साबिक खसरा नम्बर 106 हाल खसरा नम्बर 276, 282 वादी के पिता मनसुख की 1/2 भाग की व प्रतिवादीगण के पिता हरदेवा की 1/2 भाग की खातेदारी की थी, परन्तु बाद में सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण के पिता हरदेवा अकेले के नाम दर्ज कर दी, जिसकी दुरूस्ती कराने का पूर्ण अधिकार वादी को है ।

तनकी नम्बर 3 :–

आया विवादित भूमि सम्पूर्ण सदैव से ही प्रतिवादीगण के पिता हरदेवा की थी ।

तनकी नम्बर 02 में सम्पूर्ण विवेचना की जा चुकी है कि जमाबन्दी सम्वत 2009–13 एवं 2013–17 में विवादित भूमि वादी के पिता मनसुख (सहवन से मुखराम अंकित है) व प्रतिवादीगण के पिता हरदेवा की समान भाग की खातेदारी की थी । सम्वत 2021–25 में भी विवादित भूमि पर स्वयं वादी छाजू का नाम 1/2 भाग पर दर्ज था, जिसे बाद में अकेले हरदेवा के नाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

दर्ज कर दी । अतः प्रतिवादीगण का यह कथन खारिज किया जाता है कि सम्पूर्ण भूमि सदैव से ही प्रतिवादीगण के पिता अकेले हरदेवा की थी ।

कब्जे के बिन्दू पर गौर किया । कैम्प में गांव के लोगों ने विवादित भूमि के 1/2 भाग पर वर्तमान में वादी का तथा उससे पूर्व वादी के पिता मनसुख का कब्जा बताया है । पटवारी की रिपोर्ट में भी 1/2 भाग पर वादी का तथा 1/2 भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा बताया गया है ।

तनकी नम्बर 04

आया वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ।
चूंकि वादी के पिता मनसुख पूर्व के रेकार्ड में 1/2 भाग के खातेदार थे और अब उपरोक्त तनकियों के विवेचन में यह सिद्ध हो चुका है कि वादी 1/2 भाग की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है । ऐसी स्थिति में वादी अपने 1/2 भाग पर स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ।

तहत अदालत ने वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0 टी0 एक्ट डिक्री किया है, उसमें हम उपरोक्त तनकीवार विवेचन रोशनी में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा तहत अदालत द्वारा धारा 88, 188 के अन्तर्गत पारित की गई डिक्री को यथावत रखा जाता है ।

8 इसके पश्चात विभाजन के बिन्दू पर गौर किया । तहत अदालत के निर्णय अवलोकन से सिद्ध है कि तहत अदालत ने प्रकरण में ना तो प्राथमिक डिक्री बनाई, ना ही कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की और ना ही अंतिम डिक्री पारित की । जबकि धारा 53 आर0 टी0 एक्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि अगर वादी ने उपखंड अधिकारी के यहां तकासमा का वाद पेश किया है कि उसमें उभयपक्ष को सुनकर सर्वप्रथम प्राथमिक डिक्री पारित की जावे । तत्पश्चात तहसीलदार से कब्जा एवं रेकार्ड के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाकर अंतिम डिक्री पारित की जावे । परन्तु तहत अदालत ने इन प्रावधानों की पालना नहीं की है । ऐसी स्थिति में हम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विभाजन के नियम 18 से 21 पालना हेतु प्रकरण रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।
अतः आदेश है कि अपील अपीलांट तहत अदालत द्वारा धारा 88, 188 आर0 टी0 एक्ट के तहत पारित किये गये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.7.2016 की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

हद तक खारिज करते हुये तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.7.2016 अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0 टी0 एक्ट यथावत रखे जाते हैं तथा विभाजन की हद तक अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.7.2016 निरस्त कर प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर धारा 53 आर0 टी0 एक्ट, 1955 में दिये गये विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना कर प्रकरण का निस्तारण करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 8.11.2021 को उपस्थित हो ।

10 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सोंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 109/16 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सुन्दर लाल पुत्र स्व0 लालाराम

2. मूर्ति देवी पत्नी स्व0 लालाराम

3. कृष्ण कुमार पुत्र मुखराम

4. हरफुल पुत्र मुखराम

जातियान कुम्हार निवासीयान ग्राम तेजपुरा तहसील मुण्डावर

जिला अलवर राजस्थान

:———अपीलार्थीगण

बनाम

1 लोकराम

2 कान्हाराम पुत्रान स्व0 छाजूराम
जातियान कुम्हार निवासीयान ग्राम तेजपुरा तहसील मुण्डावर
जिला अलवर राजस्थान

3 कमला पुत्री छाजुराम पत्नी जगदीश जाति कुम्हार निवासी ग्राम
तेजपुरा हाल निवासी ग्राम डाबरा तह0 बानसूर जिला अलवर

4 ग्यारसी पुत्री छाजुराम पत्नी श्रीराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम
तेजपुरा हाल निवासी ग्राम लोयती नांगल तह0 बानसूर (अलवर)

5 सरतो पुत्री छाजुराम पत्नी भरतलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम
तेजपुरा हाल निवासी जैनपुर बास तह0 बहरोड जिला अलवर

6 कृष्णा पुत्री छाजुराम पत्नी छीतर जाति कुम्हार निवासी तेजपुरा
हाल निवासी ग्राम डाबरा तह0 बानसूर जिला अलवर

7 रामकली पुत्री छाजुराम पत्नी कृष्ण जाति कुम्हार निवासी ग्राम
तेजपुरा हाल निवासी ग्राम जैनपुर बास तह0 बहरोड (अलवर)

8 मिंटु पुत्री छाजुराम पत्नी सुभाष जाति कुम्हार निवासी ग्राम
तेजपुरा हाल निवासी जैनपुर बास तह0 बहरोड जिला अलवर

:———— असल रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

9 तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर
10 उप पंजीयक मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर
11 छोटी पुत्री मुखराम
12 विधा पुत्री मुखराम
जातियान कुम्हार निवासीयान तेजपुरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:——तरतीवी प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 5.7.2016

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री सुन्दर शर्मा

2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :— श्री जनार्दन शर्मा

पर्चा डिक्री

दिनांक 4.10.2021

अपील अपीलांट तहत अदालत द्वारा धारा 88, 188 आर0 टी0 एक्ट के तहत पारित किये गये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.7.2016 की हद तक खारिज करते हुये तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.7.2016 अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0 टी0 एक्ट यथावत रखे जाते हैं तथा विभाजन की हद तक अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.7.2016 निरस्त कर प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर धारा 53 आर0 टी0 एक्ट, 1955 में दिये गये विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना कर प्रकरण का निस्तारण करें ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर